अत्यन्त महत्वपूर्ण / समयबद्ध।

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद–1

संख्याः पॉच–1080(उत्तराचंल)2015   दिनांकःजून 15 ,2015

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष / कार्यालयाध्यक्ष,
पुलिस विभाग,
उत्तर प्रदेश।

विषयः– उत्तर प्रदेश एंव उत्तराखण्ड राज्य के मध्य कार्मिको के बंटवारे के सम्बन्ध मे।

उपयुर्क्त विषयक श्री भूपेन्द्र सिंह, प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश पुनर्गठन समन्वय अनुभाग–1 के शासनादेश संख्याःजी0आई0–15 / 28–1–2015–3 याचिका /2013 टी0सी0 दिनॉकः28.04.2015 के साथ संलग्न निदेशक (एस0आर0), कार्मिक ,लोक शिकायत एंव पेन्शन मंत्रालय, कार्मिक एंव प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार,नई दिल्ली के पत्र संख्याः27(सी) / 33 / 2005 / एस0आर0एस0,दिनॉकः 27 मार्च 2015 की छाया प्रति एंव उसके साथ संलग्न गाइडलाइन्स की छाया–प्रति संलग्न कर प्रेषित करते हुये गाइडलाइन्स के अनुसार कार्यवाही करने हेतु निर्धारित समय सारणी के अन्दर पूर्ण करने का निर्देश पारित किया गया है।

2. प्रश्नगत प्रकरण मे अवगत कराना है कि भारत सरकार द्वारा निर्गत समय सारणी मे निर्धारित समय सीमा समाप्त हो चुकी है। अतएव उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय / जनपद व इकाई स्तर से अपेक्षित कार्यवाही पूर्ण कराने हेतु निम्नलिखित समय सारणी निर्धारित की गयी है।

क0सं0	कारवाई की प्रक्रिया	निर्धारित समय–सीमा
1	विकल्प प्राप्त करने की अंतिम तिथि	30.06.2015
2	विकल्पो की जांच करना	15.07.2015

3. अतःअनुरोध है कि शासनादेश संख्याः27(सी) / 33 / 2005 / एस0आर0 एस0, दिनॉकः 27 मार्च 2015 के साथ संलग्न प्रारूप मे अपेक्षित सूचनाओ के कर्मियो के सेवाभिलेखो के आधार पर अंकित कर अपनी संस्तुति सहित पुलिस मुख्यालय को दिनॉकः 10.08.2015 तक भेजने का कष्ट करें,ताकि उसे उत्तर प्रदेश पुनर्गठन समन्वय अनुभाग उत्तर प्रदेश लखनऊ को प्रेषित किया जा सके।

संलग्नकः–उपरोक्तानुसार।

15/6

(ए0के0 जैन)
पुलिस महानिदेशक
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिःप्रमुख सचिव,उत्तर प्रदेश पुनर्गठन समन्वय अनुभाग–1 उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ संख्याःजी0आई0–15 / 28–1–2015–3याचिका / 2013 टी0सी0 दिनॉकः 28.04.2015 को कृपया सादर सूचनार्थ।

प्रतिलिपिःनिदेशक (एस0आर0),कार्मिक,लोक शिकायत एंव पेन्शन मंत्रालय,कार्मिक एंव प्रशिक्षण विभाग,भारत सरकार,नई दिल्ली के पत्र संख्याः27(सी) / 33 / 2005 / एस0आर0एस0,दिनॉकः 27 मार्च 2015 को कृपया सादर सूचनार्थ।

प्रतिलिपि पुलिस महानिरीक्षक, स्थापना,मुख्यालय पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 लखनऊ को कृपया अपने स्तर से निर्देशित करने की कृपा करें।

संख्या : बी0आई0-15/28-1-2015-3याचिका/2013टी0सी0

प्रेषक,

भूपेन्द्र सिंह,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

(1) समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

(2) समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश।

उत्तर प्रदेश पुनर्गठन समन्वय अनुभाग-1 लखनऊ :: दिनांक :28 अप्रैल, 2015

विषय : उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखण्ड राज्य के मध्य कार्मिकों के बंटवारे के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशक (एस0आर0), कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेन्शन मंत्रालय, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली के पत्र संख्या 27(सी)/33/2005-एस0आर0एस0, दिनांक 27 मार्च, 2015 की छाया-प्रति एवं उसके साथ संलग्न गाइडलाइन्स की छाया-प्रति संलग्न कर प्रेषित करते हुये मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया संलग्न गाइडलाइन्स के अनुसार अग्रेतर कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें एवं अपने विभाग से सम्बन्धित सभी अधिकारियों/कर्मचारियों, जिन्हें प्रशासनिक एवं न्यायिक अड़चनों के कारण उत्तराखण्ड राज्य हेतु कार्यमुक्त नहीं किया जा सका है, उनके सम्बन्ध में भारत सरकार की गाइडलाइन्स के अनुसार पात्र अधिकारियों/कर्मचारियों के विषय में उनकी सहमति प्राप्त करते हुये प्रत्येक अधिकारियों/कर्मचारियों के प्रकरण पर सम्यक विचारण/जाँच करते हुये अपने-अपने विभाग का प्रस्ताव दिनांक 30 मई, 2015 तक उत्तर प्रदेश पुनर्गठन समन्वय विभाग को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें ताकि सभी प्रकरण ससमय परामर्शीय समिति के समक्ष रखे जा सकें।

इस विषय में यह भी उल्लेखनीय है कि माननीय मंत्रिपरिषद के निर्णय दिनांक 13 जनवरी, 2015 के अनुसार यह भी सुनिश्चित कर लिया जाये कि प्रश्नगत

गाइडलाइन्स के क्रियान्ययन के फलस्वरूप किसी भी संवर्ग/विभाग में पदों की संख्या में कमी न होने पाये।

संलग्नक : यथोपरि।

भवदीय,

(भूपेन्द्र सिंह)
प्रमुख सचिव

संख्या : जी0आई0-15(1)/28-1-2015-3याचिका/2013टी0सी0, तद् दिनांक –

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित –

(1) मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
(2) मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
(3) निदेशक (एस0आर0), कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेन्शन मन्त्रालय, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार, तृतीय तल, लोक नायक भवन, खान मार्केट, नई दिल्ली को उनके पत्र संख्या 27(सी)/33/2005-एस0आर0एस0, दिनांक 27 मार्च, 2015 के सन्दर्भ में।
(4) पुनर्गठन आयुक्त, उत्तराखण्ड शासन, लखनऊ।
(5) सचिव, श्री राज्यपाल सचिवालय, उत्तर प्रदेश।
(6) सचिव, विधान सभा/विधान परिषद, उत्तर प्रदेश।
(7) मुख्य स्थायी अधिवक्ता, माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद/लखनऊ बेन्च।

आज्ञा से,

(कृष्ण मोहन त्रिवेदी)
संयुक्त सचिव

दिनांक 13.09.2000 को जारी किए गए दिशा-निर्देशों के अतिरिक्त उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखंड के बीच कार्मिक आबंटन के निमित्त दिशा-निर्देश

मामले की पृष्ठभूमि

नवम्बर, 2009 में, उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखंड की राज्य सरकारें, उन पुलिस कार्मिकों जिन्हें प्रशासनिक कठिनाइयों के कारण अथवा अपने आबंटन के लिए संबंधित उच्च न्यायालयों से कर्मचारियों द्वारा स्थगन आदेश प्राप्त करने के कारण उत्तर प्रदेश से कार्यमुक्त नहीं किया जा सका था, के सापेक्ष उत्तराखंड को उतने रिक्त पदों के स्थानांतरण के लिए सहमत हो गई थीं। तदनन्तर उत्तर प्रदेश शासन के गृह विभाग द्वारा जब अनुपालन स्वरूप जारी किये गये दो शासनादेश केन्द्र सरकारी की जानकारी में आये तब राज्य सरकारों को कुछ सुझाव दिए गए थे तथा यह सुनिश्चित करने के लिए मुद्दे पर पुनर्विचार करने का अनुरोध किया गया था कि कर्मचारी-आबंटन संबंधी निर्णय सभी राज्यों के लिए निष्पक्ष एवं उचित हों। इस संबंध में प्राप्त हुए प्रस्तावों के विभिन्न पहलुओं पर बाद की बैठकों में तथा पत्राचार के माध्यम से विचार-विमर्श किया गया था। संयुक्त सचिव (एटी एवं ए), कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग की अध्यक्षता में उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखंड दोनों राज्यों की सरकारों के प्रतिनिधियों के साथ 01.09.2014 को हुई बैठक के दौरान, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अपने दिनांक 27.12.2011 के पत्र सं. 948/28-01-2011 द्वारा प्रस्तुत किए गए तथा उत्तराखंड सरकार द्वारा अपने दिनांक 28.11.2011 के पत्र सं. 305/XXXVII/11-23/2007 द्वारा समर्थन दिए गए प्रस्ताव पर जगदीश नारायण दोहरे (रिट याचिका सं. 3636/2005) के मामले में माननीय उच्च न्यायालय की दिनांक 10.01.2013 की टिप्पणियों के अनुसरण में विचार-विमर्श किया गया था। उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखंड दोनों राज्यों की सरकारों ने क्रमशः दिनांक 28.01.2015 और 22.11.2014 के अपने पत्रों द्वारा प्रस्तावित सिद्धांतों की पुनः पुष्टि की है।

2. दोनों राज्य सरकारों के मध्य सहमति के आधार पर, उन कर्मचारियों, जिन्हें प्रशासनिक अथवा कानूनी अडचनों के कारणों से कार्यभार ग्रहण नहीं कराया जा सका था, के आबंटन के दिशा-निर्देशों में संशोधन के लिए निम्नलिखित सिद्धांतों का भारत सरकार द्वारा अनुमोदन किया गया है। ये दिशा-निर्देश दिनांक 13.9.2000 को अंतिम आबंटन के लिए जारी किए दिशा-निर्देशों तथा इस विभाग द्वारा समय-समय पर जारी किए गए संशोधनों/स्पष्टीकरणों के इस सीमा तक संशोधन के उपरान्त हैं।

आबंटन के सिद्धांत

1. पात्रता

वे सभी कर्मचारी, जो प्रशासनिक एवं कानूनी बाधाओं के कारण उत्तर प्रदेश/उत्तराखंड में कार्यभार ग्रहण नहीं कर पाए हैं, यह लाभ प्राप्त करने के पात्र हैं। तथापि, कर्मचारियों की निम्नलिखित श्रेणियां इस लाभ के लिए हकदार नहीं होंगी:

(i) वे कर्मचारी जिनके विरूद्ध विभागीय जांच अथवा खुली सतर्कता जांच लंबित हो। तथापि, जांच के अंतिम परिणाम आने तक ऐसे कर्मचारियों को भी कार्यमुक्त नहीं किया जाएगा।
(ii) ऐसे कर्मचारी जिन्होंने, उन्हें आबंटित राज्य के संबंध में संशोधन करने के लिए पारस्परिक स्थानांतरण, दाम्पत्य नीति, चिकित्सकीय व्यथा, अ.जा./अ.ज.जा. नीति इत्यादि जैसे किसी विशेष प्रावधान का पहले ही उपयोग कर लिया हो।
(iii) पर्वतीय उप-संवर्ग के कर्मचारी तथा पर्वतीय क्षेत्र अथवा पर्वतीय क्षेत्र की परियोजनाओं में नियोजित कर्मचारी।
(iv) दिनांक 09.11.2000 को अथवा इसके पश्चात नियुक्त किए गए कर्मचारी।

2. पदों का स्थानांतरण

इस योजना के अंतर्गत जितने कर्मचारियों को उत्तर प्रदेश में रखा जाएगा उतनी ही संख्या में रिक्त पदों को उत्तराखंड राज्य में स्थानांतरित किया जाएगा, उत्तराखंड राज्य द्वारा भी इसी प्रकार की प्रक्रिया अपनाई जाएगी। संबंधित राज्य इस प्रकार हस्तांतरित किये गये इन पदों के लिए नए सिरे से भर्ती कर सकेंगे।

3. कर्मचारियों की सहमति

इस योजना के अंतर्गत पात्र कर्मचारियों को उनके द्वारा विकल्प दिए गए राज्य को स्वतः ही पुन: आबंटन/प्रत्यावर्तन नहीं किया जाएगा। संबंधित राज्य सरकार समयबद्ध रीति से लिखित रूप में संबंधित कर्मचारी की सहमति प्राप्त करेगी। यदि किसी कर्मचारी के अनुरोध को स्वीकार कर लिया जाता है तो संबंधित कर्मचारी अपने अदालती मामलें को वापस लेगा तथा संबंधित प्राधिकारी के समक्ष उसे इस संबंध में साक्ष्य प्रस्तुत करना होगा।

4. वरिष्ठता का निर्धारण

पुन: आबंटित किए जाने के इच्छुक कार्मिकों को उनके द्वारा विकल्प दिए गए राज्य में वही वरिष्ठता प्राप्त होगी जो उनकी उत्तरवर्ती राज्य में नियुक्ति से तत्काल पूर्व अर्थात 09.11.2000 को उनके संवर्ग/बैच में थी। इस प्रयोजनार्थ उन्हें अपने विकल्प दिए गए राज्य को प्रत्यावर्तित किए जाने के पूर्व नियत तिथि की स्थिति के अनुसार नियमित आधार पर उनके द्वारा धारित पद को प्रत्यावर्तित किया जाएगा, जहां उपयुक्त समय के भीतर समीक्षा विभागीय पदोन्नति

समिति (रिव्यू डीपीसी) की बैठकें आयोजित करके उनकी पदोन्नति, यदि पात्र पाए जाएँ, पर विचार किया जाएगा और उनको उनके ठीक नीचे के कनिष्ठों के समकक्ष ही रखे जाने के लिए हर संभव प्रयास किए जाएंगे।

5. <u>अधिसंख्य पदों का सृजन करना</u>

इस योजना के अंतर्गत समायोजित किए गए कर्मचारियों को, जहां तक संभव होगा, उनकी श्रेणी जैसे कि (सामान्य, अ.जा., अ.ज.जा. एवं अ.पि.व.) के अंतर्गत् उपलब्ध रिक्तियों के लिए समायोजित किया जाएगा। तथापि, इस योजना के अंतर्गत् यदि पुन: आबंटित किसी कर्मचारी के लिए कोई पद उपलब्ध न हो तो उसे इस शर्त के साथ अधिसंख्य पद का सृजन करते हुए समायोजित किया जाएगा कि अधिसंख्य पद को परवर्ती वर्षों में उपलब्ध होने वाले नियमित पदों के सापेक्ष समायोजित किया जाएगा।

6. <u>अनुमोदन का स्तर</u>

अंतिम निर्णय भारत सरकार द्वारा, उत्तर प्रदेश पुनर्गठन समन्वय विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार, जो उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 के अंतर्गत कर्मचारियों के आबंटन संबंधी मामलों का समन्वय करने के लिए नोडल विभाग है, के माध्यम से प्राप्त हुई सूचनाओं के आधार पर लिया जाएगा।

******

Kiri Kyge

संशोधित दिशा-निर्देशों के कार्यान्वयन के लिए प्रस्तावित समय-सीमा

क्र.सं.	कार्रवाई की प्रक्रिया	समय-सीमा
1.	दिशा-निर्देशों को अंतिम रूप देना	31.03.2015 (जो माननीय उच्च न्यायालय के अंतिम आदेश के अधीन है)
2.	दिशा-निर्देशों को अधिसूचित करना	15.04.2015
3.	विकल्प प्राप्त करने की अंतिम तिथि	15.05.2015
4.	विकल्पों की जांच करना	29.05.2015
5.	राज्य के एसआर प्रभाग द्वारा सलाहकार समिति को प्रस्ताव सौंपना	05.06.2015
6.	सलाहकार समिति द्वारा सिफारिशों की जांच करना	15.06.2015
7.	कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग को प्रस्ताव सौंपना	22.06.2015
8.	केन्द्र सरकार का अनुमोदन	30.06.2015

******